

अनुस्मारक / Reminder

No.01/169/2017/Vig./25

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान/National Institute of Fashion Technology
सतर्कता विभाग, मुख्यालय/Vigilance Department, Head Office
नई दिल्ली/New Delhi-110016

28.01.2020

विषय: वर्ष 2019 के लिए वार्षिक सम्पत्ति विवरण को ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण करने हेतु दिशा निर्देश
Subject: Online submission of Annual Property Return for the Year 2019-reg.

सतर्कता विभाग, मुख्यालय के पत्र सं. सम संख्यक दिनांकित 27.12.2019 के संदर्भ में:-

सी. सी. एस. (आचरण) निमावली, 1964 के नियम 18(1) (ii) के अनुसार अचल सम्पत्ति से सम्बंधित वार्षिक सम्पत्ति विवरण प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। As per Rule 18(1) (ii) of CCS (Conduct) Rules, 1964, Annual Property Return (APR) in respect of immovable property is required to be submitted by 31st of January of each year.

2. यहाँ आपका ध्यान डी. ओ. पी. टी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/11/2007-Estt.A दिनांकित 27.09.2011 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह बताया गया है कि वे अधिकारी जिन्होंने अपना पिछले वर्ष का वार्षिक सम्पत्ति विवरण दिनांक 31 जनवरी तक प्रस्तुत नहीं किया है, उस अधिकारी का सतर्कता अनापति प्रमाण पत्र रोक जायेगा

| Here, attention is also invited to the O.M No. 11012/11/2007-Estt.A dated 27.09.2011 issued by the Department of Personnel and Training which stipulates that the Vigilance Clearance shall be denied to an officer if he/she fails to submit his/her annual immovable property return of the previous year by 31st January of the following year.

3. उपरोक्त के आलोक में, निफ्ट के सभी अधिकारियों, संकायों तथा कर्मचारियों से सतर्कता विभाग, मुख्यालय के सम संख्यक पत्र सं. दिनांकित 27.12.2019 के द्वारा अनुरोध किया गया था कि वे अपना वर्ष 2019 (01.01.2020 तक) का वार्षिक अचल सम्पत्ति का ऑनलाइन विवरण निफ्ट के एच.आर.एम.एस मोड्यूल (URL:-<https://nifthrapps.ospyn.com/dashboard.html>) के माध्यम दिनांक 31.01.2020 तक अवश्य प्रस्तुत करें। In view of above, all the Officers, Faculty and Staff members across all NIFT Campuses were requested vide letter of even no. dated 27.12.2019 to submit the Immoveable Property Details for the year 2019 (as on 01.01.2020) **online from 02.01.2020 onwards** in the NIFT HRMS module(URL:-<https://nifthrapps.ospyn.com/dashboard.html>) by 31.01.2020:-

जारी/Cont'd..

4. सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पुनः आग्रह किया जाता है कि जिन्होंने अभी तक अपना वार्षिक सम्पत्ति विवरण एच.आर.एम्.एस में अंकित नहीं किया है, वे सभी 31.01.2020 तक अपना वार्षिक सम्पत्ति विवरण एच.आर.एम्.एस पर सम संख्यक पत्र सं. दिनांकित 27.12.2019 द्वारा प्रकाशित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अवश्य अंकित करें। In view of the same, it is once again requested to all the officials across all NIFT campuses to fill the Immovable Property details latest by 31. 01.2020 as per the instruction issued vide Vigilance Department, letter of even no. dated 27.12.2019.
5. निफ्ट एच.आर.एम्.एस यूजर आई.डी पर विवरण भरते समय यदि किसी भी तरह की तकनीकी असुविधा हो, तो श्री अक्षत अग्रवाल से ईमेल आई.डी eoffice@nift.ac.in, दूरभाष संख्या 011-26542192 तथा मोबाइल नंबर 09149388144 (किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 09:00 से शाम 05:30 तक) पर समाधान हेतु संपर्क किया जा सकता है। In case of any technical issue including creation/access of NIFT HRMS User I.D etc, Sh. Akshat Aggarwal may be contacted at Ph. No-011-26542192, email I.D :- eoffice@nift.ac.in and on Mob:- no. 09149388144 (any working day from 09:00 a.m to 05:30 p.m.)
6. सभी अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सरकार सेवा से प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी अपने वर्ष 2019 का वार्षिक सम्पत्ति विवरण सम्बंधित नियम 16(2) ए.आई.एस (आचरण) नियमावली, 1968/नियम 18 सी. सी. एस. (आचरण) निमावली, 1964 के तहत भरना जारी रखेंगे। All the AIS/Central Services Officers on Deputation in NIFT will continue to file their annual property returns for the year 2019 under the relevant Rule 16(2) of AIS (Conduct) Rules, 1968/Rule 18 of CCS (Conduct) Rule, 1964.
7. कृपया सम्पूर्ण संपत्ति का विवरण (क्रय वर्ष के निरपेक्ष) पिछले वर्षों में घोषित सम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए, भरना सुनिश्चित करें। Kindly ensure to fill the complete details of all properties (irrespective of Purchase Year), including properties disclosed during previous year also.



(ऋचा गहरवार/Richa Gaharwar)

मुख्य सतर्कता अधिकारी/Chief Vigilance Officer

1. निदेशक, सभी निफ्ट केंद्र Campus Director, All NIFT Campuses- for circulation to all the employees of their concerned campuses .
2. ओ.एस.डी(स्थापना),निफ्ट, मुख्यालय/O.S.D(Estt.)NIFT-H.O /सहायक निदेशक (स्थापना-1)-निफ्ट मुख्यालय Assistant Director, (Estt.-I)-for circulation amongst NIFT H.O Officials.
3. सभी निफ्ट केंद्र के संयुक्त निदेशक/Joint Director, All NIFT Campuses.
4. सभी निफ्ट केंद्र के उप सतर्कता अधिकारी/DVO, All NIFT Campuses.
5. निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी/Director-IT- for uploading the same under Vigilance Corner under the link "Circular regarding-Submission of Online Annual Property Return 2019 (as on 01.01.2020)".
6. निफ्ट मुख्यालय व निफ्ट केन्द्रों के सूचना पट्ट/All Notice Boards- in Head office as well as Delhi campus premises.